न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2943–पीबीआर/2015 विरूद्ध कलेक्टर का पत्र कमांक 107/अकरी–2/2015 दिनांक 24–02–2015, अनुविभागीय अधिकारी का सूचना पत्र दिनांक 18–03–2015 एवं 26–08–2015 प्रकरण कमांक 02/अ–74/2014–15

....

मैसर्स शिव इन्टरप्राईजेस
पंजीकृत भागीदारी फर्म
तर्फे भागीदार अभ्य पिता छगनलालजी जैन
पता 405–ए, शहनाई रेसीडेन्सी, कनाडिया रोड,
इंदौर म0प्र0

.........आवेदक

विरूद्ध
1–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पता जिलाधीश कार्यालय इंदौर म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश
पता जिलाधीश कार्यालय,
इंदौर म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री एच0के0अग्रवाल अभिभाषक–अनावेदकगण शासन

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला इंदौर के पत्र कमांक 107/अकरी–2/2015 दिनांक 24–2–2015, अनुविभागीय अधिकारी के सूचना पत्र दिनांक 18–03–2015 एवं दिनांक 26–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग—कस्बा इंदौर को पत्र कमांक 107/अकरी—2/2015 दिनांक 24—2—2015 जारी कर ग्राम खजराना स्थित भूमि सर्वे कमांक 1405, 1407 पैकि 1407/1523 रकबा 2.216 हेक्टेयर के संबंध में पारित व्यपवर्तन आदेश दिनांक 21—11—2013 के पुनर्विलोकन की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर संबंधितों को सुनवाई का अवसर देते हुये व्यपवर्तन की कार्यवाही निरस्त करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर के पत्र के पालन में पुराना प्रकरण कमांक 03/अ—74/2014—15 जिसका नया प्रकरण कमांक 02/अ—74/2014—15 है, दर्ज कर कार्यवाही करते हुये आदेशिक दिनांक 26—02—2015 से संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 11/अ—2/2013—14 के पुनर्विलोकन की अनुमति अपर कलेक्टर से चाही गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 2—3—2015 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन की अनुमति देने के साथ साथ यह भी निर्देश दिये गये कि माननीय उच्च न्यायालय की याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.7505/2007 एवं डब्ल्यू.पी.1439/2013 में पारित आदेशों की शासन हित में डबल बैंच में अपील याचिका प्रस्तुत करने अथवा आगामी किस प्रकार की कार्यवाही की जाना है, के संबंध में कलेक्टर जिला इंदौर के पत्र दिनांक 24—2—2015 के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता से मत प्राप्त किया जाकर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे । अपर कलेक्टर से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना पत्र कमांक 349/री.ई./2015 दिनांक 18—3—2015 जारी किया गया और इसी तारतम्य में सूचना पत्र कमांक 594/री.विजय नगर/2015 दिनांक 26—8—2015 जारी किया गया । कलेक्टर के पत्र कमांक 107/अकरी—2/2015 दिनांक 24—2—2015 एवं इन्हीं सूचना पत्रों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :—

(1) कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह जानते हुए कि पूर्व में दिनांक 18—8—2005 को उपरोक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक

31—5—2005 को पुनर्विलोकन में ली जाने की कार्यवाही दिनांक 18—8—2005 को की जा चुकी है एवं उक्त कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2—1—2006 को निरस्त घोषित किया जा चुका है । उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अनावेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष याचिका क्रमांक 7505/2007 प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 13—12—2007 को निरस्त की जा चुकी है । अतः उपरोक्त आदेशों के उपरांत अनावेदकगण उक्त भूमि के संबंध में पुनर्विलोकन की कार्यवाही किए जाने से स्टाप्ड (विबंधित) है । अनावेदकगण द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में पुनः भू परिवर्तन आदेश दिनांक 21—11—2013 की आड़ में पुनर्विलोकन की कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर का पत्र क्रमांक 107/अ.क.री. —2/2005/2015 दिनांक 24—2—2015 अवैध विधि एवं विधि विपरीत तथा क्षेत्राधिकारविहीन है ।

(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में प्रावधानित है कि पूर्व न्याय—कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद का विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य—विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिसने व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

(3) चूँकि आवेदक के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय तक से आदेश हो चुके हैं, इसलिये इस प्रकरण में रेस—जुडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है।यह भी विचारणीय है कि जिस विषयवस्तु एवं बिन्दु का निराकरण वरिष्ठ न्यायालय (इस न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय) द्वारा किया जा चुका हो, तब उसी विषयवस्तु एवं बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में संहिता की धारा 51 (4) एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के प्रावधान उल्लेखनीय हैं, जिनके प्रकाश में वर्तमान पुनर्विलोकन की कार्यवाही स्पष्ट रूप से वर्जित है ।

(4) उपरोक्त वैधानिक स्थिति के आलोक में अनावेदक द्वारा आवेदक फर्म द्वारा धारित भूमि के संबंध में दी गई पुनर्विलोकन की अनुमति दिनांक 02–03–2015 अवैध, अधिकार विहीन एवं विधि विरूद्ध होकर आवेदक फर्म से दुर्भावना के चलते जारी की गई होकर उसके आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक फर्म द्वारा धारित भूमि के संबंध में शासन के सभी विभागों को दिये गये निर्देश, आदेश होना व उक्त आदेश के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक फर्म को जारी सूचना पत्र कमांक 349/रि.ई./2015 दिनांक 18–3–2015 व उसके उपरांत जारी सूचना पत्र कमांक 594/रि.विजयनगर/15/ दिनांक 26–8–2015 भी निरस्तनीय होने से उपरोक्त आदेश एवं उसके उपरांत शासन के सभी विभागों को दिये गये निर्देश, आदेश एवं उक्त सूचना पत्रों को अपास्त किया जाना न्यायोचित होगा ।

तर्कों के समर्थन में 2010 जे.एल.जे. पार्ट (3) पेज 77 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रश्नाधीन भूमि लक्ष्मीनारायण मंदिर के नाम है, अतः कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कराने एवं व्यपवर्तन आदेश के पुनर्विलोकन कराने संबंधी पत्र लिखने में वैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति इस प्रकार है कि तहसीलदार इंदौर द्वारा दिनांक 31–5–2005 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 1405 रकबा 1.385 हेक्टर एवं सर्वे कमांक 1407 रकबा 1.057 हेक्टर पर श्यामसुन्दर त्रिवेदी पिता गोकुलप्रसाद त्रिवेदी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया । तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार इंदौर के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने बावत् पंडित श्यामसुन्दर त्रिवेदी को कारण बताओं सूचना

पत्र जारी किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा जारी सूचना पत्र के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2–1–2006 को आदेश पारित कर कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य की ओर से कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कमांक 7505/2007 प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13–12–2007 को आदेश पारित कर रिट याचिका निरस्त की गई । इस प्रकार तहसीलदार इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–05–2005 अंतिम हो गया। तत्पश्चात् तहसीलदार इंदौर द्वारा नामान्तरण प्रकरण कमांक 66/अ–6/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 20–03–2008 से प्रश्नाधीन भूमि पर श्यामसुन्दर त्रिवेदी के स्थान पर श्रीमती मंजू खण्डेलवाल पति राजकुमार खण्डेलवाल का नाम दर्ज किया गया । इसके पश्चात् नामान्तरण पंजी कमांक 67 में पारित आदेश दिनांक 29–12–2009 से प्रश्नाधीन भूमि पर श्रीमती मंजू खण्डेलवाल के स्थान पर आवेदक मैसर्स शिव इन्टरप्राईजेस का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज हुआ । उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमियों का अभिलिखित भूमिस्वामी है । आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का अभिलिखित भूमिस्वामी होने के आधार पर व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का व्यपवर्तन नहीं किये जाने के कारण आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कमांक 1439/2013 प्रस्तुत की गई । उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09–07–2013 को आदेश पारित कर प्रकरण में 6 सप्ताह में आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–2/2013–14 में दिनांक 21–11–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नधीन भूमि रकबा 2.216 हेक्टर का व्यपवर्तन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि किसी भी भूमिस्वामी को कृषि भिन्न प्रयोजन के लिये संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत व्यपवर्तन कराने का अधिकार प्राप्त है । अनुविभागीय अधिकारी

द्वारा तहसीलदार, इन्दौर से जॉच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त कर अपर कलेक्टर, इन्दौर को प्रतिवेदन क्रमांक 159/री./2015 दिनांक 9–2–2015 प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7505/2007 में पारित आदेश दिनांक 13–12–2007 में दिये गये निर्देशानुसार स्वत्व संबंधी सिविल वाद संस्थित किया जाना या माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील की जाना उचित होगा । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के व्यपर्तन आदेश दिनांक 21–11–2013 के पुनर्विलोकन की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित को सुनवाई का अवसर देते हुए व्यपवर्तन निरस्त करने की कार्यवाही करने संबंधी पत्र क्रमांक 107/अकरी–2/2015 दिनांक 24–2–2015 जारी करने में जहाँ अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, वहीं माननीय उच्च न्यायालय अवमानना भी की गई है, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि आवेदक के अभिलिखित भूमिस्वामी होने का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय से हो चुका है, और व्यपवर्तन आदेश भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में किया गया है । अभिलिखित भूमि स्वामी की भूमि के संबंध में पारित व्यपवर्तन आदेश जब तक निरस्त नहीं किया जा सकता है, तब तक कि उसमें कोई अवैधानिकता नहीं हुई हो अथवा वह अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं रह गया हो। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13–12–2007 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना तथा स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जबकि मध्यप्रदेश राज्य की ओर से कलेक्टर, इन्दौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13–12–2007 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष रिट अपील क्रमांक 674/2008 प्रस्तुत की जा चुकी है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 10–10–2012 को आदेश पारित कर निरस्त कर दी गई है । इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा पत्र दिनांक 24–2–2015 जारी करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । कलेक्टर द्वारा अपने पत्र दिनांक 24–2–2015 में व्यपवर्तन

आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि व्यपवर्तन आदेश में क्या अवैधानिकता हुई है, जिस कारण उसे निरस्त किया जाये, और न ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर कलेक्टर से पुनर्विलोकन की अनुमति लेने संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन में व्यपवर्तन आदेश दिनांक 21–11–2013 में हुई अवैधानिकता का कोई उल्लेख किया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा भी पुनर्विलोकन की अनुमति देने में इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ से इसके अतिरिक्त माननीय उच्च् न्यायालय के आदेश दिनांक 13–12–2007 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना अथवा स्वत्व के संबंध में व्यवहार वाद प्रस्तुत करना व्यपवर्तन आदेश दिनांक 21–11–2013 पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । इस प्रकार प्रकरण कमांक 2/अ–74/2014–15 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, इन्दौर द्वारा जारी पत्र कमांक 107/अकरी–2/2015 दिनांक 24–2–2015, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र कमांक 349/रि.ई./2015 दिनांक 18–3–2015 एवं सूचना पत्र कमांक 594/रि.विजयनगर/15/ दिनांक 26–8–2015 निरस्त किये जाकर कलेक्टर के उपरोक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में की जा रही समस्त कार्यवाहियां निरस्त की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर